

Mr. Madhup
AEO



9/25/18
Asstt (Rty)

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

Order No. 17/34-2018 Ad.(2)

Dated, Panchkula, the 29.05.2018

The work allotted to Sh. Reagan Kumar, HCS, Administrative Officer-cum-Secretary & CEO, UTKARSH Society, Sector-2, Panchkula was withdrawn vide order No. 17/34-2018 Ad.(2) dated 29.05.2018.

Now Sh. Lalit Siwach, HCS, Additional Director Administration O/o Director Secondary Education Haryana, Panchkula will look after the work of UTKARSH Society as CEO-cum-Secretary in addition to his present duties with immediate effect.

Further, Sh. Nand Kishore Verma, Assistant Director (Academic) O/o Director Secondary Education Haryana, Panchkula will exercise the DD Powers of UTKARSH Society in addition to his present duties with immediate effect.


RAJIV RATTAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA


Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the: 30.05.2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Sh. Lalit Siwach, HCS, Additional Director Administration O/o Director Secondary Education Haryana, Panchkula.
2. Sh. Nand Kishore Verma, Assistant Director (Academic) O/o Director Secondary Education Haryana, Panchkula.
3. PS/ACSSE.
4. PS/DSE.
5. PA/DEE.
6. PA/Additional Director Admn.
7. PA/Additional Director (Academic).
8. PA/Joint Director Admn.
9. All Branch Officers/Superintendents.
10. Superintendent Admn. (Elementary Education)
11. GM (Technical), UTKARSH Society DIET Building Sector-2, Panchkula.
12. IT Cell (HQ).


REGISTRAR EDUCATION
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schoolseducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com



ORDER NO. 2/8-2018 HRME (4)

DATED, PANCHKULA: 30/05/2018

The following official who was appointed as Clerk vide this office Order No. 2/8-2018 HRME (4) dated 24.05.2018 is hereby, adjusted against vacant post of Clerk at the school with immediate effect:-

| Sr. No. | Name | Present Place of Posting | Transfer/Adjusted |
|---------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Smt. Saroj | GHS Tharva (Faridabad) [4693] | GHS Dewan (Hisar-II) [1206] |

Note :-

1. The official will be joined immediately and in any case within 3 days failing which he/she will be liable for disciplinary action.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. If there is no vacancy in the destination school/office for any reason the incumbent contact the Head Quarter immediately.
4. The condition that official has not been joined previous place of posting is not implemented on Cancellation Order.
5. The official will be update their profile in MIS Portal when his/her join present working station and also supply the information to the Directorate.
6. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.


RAJIV PRASHAD
JOINT DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 2/8-2018 HRME (4)

DATED PANCHKULA, 30-5-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


1. District Education Officer concerned.
2. Head of the institution concerned.
3. Official concerned.
4. Secy. OSD/CM.
5. Sr. PS/E.M.
6. Sr. PS/ACSSE.
7. PS/DSE.
8. IT Cell.
9. Data Entry Operator (HRME Branch) his requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.


SUPERINTENDENT HRME
For DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Kanwla[86], Ambala

यादी क्रमांक 2/21-2018 works (1)

दिनांक पंचकुला 29-05-2018

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष

2018-19 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 5/6 2005 बी एण्ड सी दिनांक

09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/21-2018 W (1) दिनांक 12.04.2018 के प्रसंग के अर्न्तगत 1800.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 GSSS Kanwla (Ambala) [86] | Completion of work (CM Announcement) | 187000.00 |
| | कुल राशि | 187000.00 |

रकीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के रपैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार बँक करके राशि कम/ज्यादा की गई है।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2018-19 (Non Recurring/ Recurring) के अर्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/21-2018 works (1)

दिनांक, पंचकूला: 29-05-2018

- इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:
- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहरताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
 - 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला
 - 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
 - 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंन्ट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना//
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा10 क्रमांक 5/6/2005 5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
 - 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
 - 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
 - 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
 - 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय (यह राशि बी0सी0ओ0 के खाते में स्थानान्तरित की जाये)।
 - 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS-Harita[1216], Hisar

यादी क्रमांक 2/21-2018 works (1)

दिनांक पंचकुला 29-05-2018

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष

2018-19 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 5/6 2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशाराकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/21-2018 W (1) दिनांक 12.04.2018 के प्रसंग के अर्न्तगत 1800.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशाराकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 GHS Harita (Hisar) [1216] | Const. of B/wall and water tank | 727000.00 |


कुल राशि

727000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसी तुरन्त खजाने में बलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2018-19 (Non Recurring/ Recurring) के अर्न्तगत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

दिनांक, पंचकुला: 29-03-2018

पृष्ठांकन क्रमांक 2/21-2018 works (1)

- इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:
- ✓ जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रतिहरताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
 - 3 जिला खजाना अधिकारी हिसार
 - 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना//
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा10 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
 - 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
 - 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
 - 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
 - 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय (यह राशि बी0सी0ओ0 के खाते में स्थानान्तरित की जाये)।
 - 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।
R



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Saketari[3737], Panchkula

यादी क्रमांक 2/21-2018 works (1)

दिनांक पंचकुला 29-05-2018

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष

2018-19 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा10 क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/21-2018 W (1) दिनांक 12.04.2018 के प्रसंग के अर्न्तगत 1800.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 GSSS Saketari (Panchkula) [3737] | Raising of B/wall and white wash building | 483000.00 |
| | कुल राशि: | 483000.00 |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार चेक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2018-19 (Non Recurring/ Recurring) के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

दिनांक, पंचकूला: - 29-05-2018

पृष्ठाकन क्रमांक 2/21-2018 works (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला
- 3 जिला खजाना अधिकारी पंचकूला
- 4 उप खजाना अधिकारी, कालका/बरवाला/मोरनी/रायपुररानी/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 5/6/2005-5 बी० एण्ड सी० दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय (यह राशि बी०सी०ओ० के खाते मे स्थानान्तरित की जाये)।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS-Bilaspur[175], Yamuna Nagar
Principal GSSS-Talakaur[194], Yamuna Nagar
Principal GSSS-Fatehgarh Tumbi[208], Yamuna Nagar
Principal GSSS-Machhrauli[230], Yamuna Nagar
यादी क्रमांक 2/21-2018 works (1) Group: 84
दिनांक पंचकुला 29-05-2018

विषय मार्डनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष

2018-19 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा10 क्रमांक 5/6 2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/21-2018 W(1) दिनांक 12.04.2018 के प्रसंग के अर्न्तगत 1800.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|---|---|-------------------|
| 1 GMSSSS Bilaspur (Yamuna Nagar) [175] | Major repair of 2 ACR (MLA Sadhaura) | 442500.00 |
| 2 GSSS Talakaur (Yamuna Nagar) [194] | laying of inter locking tile (MLA Sadhaura) | 555500.00 |
| 3 GSSS Fatehgarh Tumbi (Yamuna Nagar) [208] | Const. of M.P Hall and inter locking tile path way (MLA Sadhaura) | 1730500.00 |
| 4 GSSS Machhrauli (Yamuna Nagar) [230] | Const. of M.P Hall and inter locking path way (MLA Sadhaura) | 1929100.00 |
| | कुल राशि | 4657600.00 |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के रपैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।

6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उरा विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2018-19 (Non Recurring/ Recurring) के अर्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला: 29-05-2018

पृष्ठांकन क्रमांक 2/21-2018 works (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

✓ जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहरस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

2 अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर

3 जिला खजाना अधिकारी यमुनानगर

4 उप खजाना अधिकारी, यमुनानगर/छछरोली/बिलासपुर/सडौरा/रादौर///

5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा10 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।

6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।

7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय (यह राशि बी0सी0ओ0 के खाते मे स्थानान्तरित की जाये)।

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार.

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS-Tiwala[496], Charkhi Dadri

Principal GGSSS-Bamla[4045], Bhiwani

यादी क्रमांक 2/21-2018 works (1) Group: 82

दिनांक पंचकुला 29-05-2018

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष

2018-19 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/21-2018 W (1) दिनांक 12.04.2018 के प्रसंग के अर्न्तगत 1800.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 GGSSS Bamla (Bhiwani) [4045] | Const. of B/wall (M.P adopted) | 1148000.00 |
| 2 GHS Tiwala (Charkhi Dadri) [496] | Const. of B/wall (M.P adopted) | 523000.00 |
| | कुल राशि | 1671000.00 |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उरा विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2018-19 (Non Recurring/ Recurring) के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला: - 29-05-2018

पृष्ठाकन क्रमांक 2/21-2018 works (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी
- 3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी
- 4 उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/चरखी दादरी/लोहारु/सिवानी/बाढडा/बवानी खेड/तोशाम
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 5/6/2005-5 बी० एण्ड सी० दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय (यह राशि बी०सी०ओ० के खाते मे स्थानान्तरित की जाये)।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Sharanwas[2508], Rewari

यादी क्रमांक 2/21-2018 works (1)

दिनांक पंचकुला 29-05-2018

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष

2018-19 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/21-2018 W (1) दिनांक 12.04.2018 के प्रसंग के अर्न्तगत 1800.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1 GSSS Sharanwas (Rewari) [2508] | Const. of two ACR toilet boy and girl 2 set, inter locking tile prayer ground | 1646000.00 |
| | कुल राशि | 1646000.00 |

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2018-19 (Non Recurring/ Recurring) के अर्न्तगत वहन करना होगा।

६६८/

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/21-2018 works (1)

दिनांक, पंचकूला:- 29-05-2018

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विधालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी
- 3 जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
- 4 उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 5/6/2005-5 बी० एण्ड सी० दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय (यह राशि बी०सी०ओ० के खाते मे स्थानान्तरित की जाये)।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Atta[2070], Panipat

यादी क्रमांक 2/21-2018 works (1)

दिनांक पंचकुला 29-05-2018

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष

2018-19 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/21-2018 W (1) दिनांक 12.04.2018 के प्रसंग के अर्न्तगत 1800.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|------------------------------|---|-----------------|
| 1 GSSS Atta (Panipat) [2070] | Repair of 6 room with verandah and gate | 1295000.00 |
| | कुल राशि | 1295000.00 |

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2018-19 (Non Recurring/ Recurring) के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

दिनांक, पंचकुला:- 29-05-2018

पृष्ठाकन क्रमांक 2/21-2018 works (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी पानीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय (यह राशि बी0सी0ओ0 के खाते मे स्थानान्तरित की जाये)।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Bajana Khurd[3448], Sonipat
 Head Master GHS-Chhatehra[3572], Sonipat
 Head Master GHS-Bazidpur Saboli[3654], Sonipat
 यादी क्रमांक 2/21-2018 works (1) Group: 83
 दिनांक पंचकुला 29-05-2018

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/अलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष

2018-19 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा10 क्रमांक 5/6 2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/21-2018 W (1) दिनांक 12.04.2018 के प्रसंग के अर्न्तगत 1800.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके राक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|--|--|-----------------|
| 1 GSSS Bajana Khurd (Sonipat) [3448] | Const. of B/wall | 1041000.00 |
| 2 GHS Chhatehra (Sonipat) [3572] | Repair of 6 room with verandah | 1956000.00 |
| 3 GHS Bazidpur Saboli (Sonipat) [3654] | Inter locking tile in prayer ground and path | 828000.00 |
| | कुल राशि | 3825000.00 |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के रपैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार बैंक करके राशि कम/ज्यादा की गई है।

6 जब तक इरा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2018-19 (Non Recurring/ Recurring) के अर्तगत वहन करना होगा।

६६८
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/21-2018 works (1)

दिनांक, पंचकुला:-- 29-05-2018


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहरताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखोदा//
- 5 अतिरिक्त मुख्य राधिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 5/6/2005-5 बी० एण्ड सी० दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) वण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) वण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय (यह राशि बी०सी०ओ० के खाते में स्थानान्तरित की जाये)।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

34mpf 29/5/18
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

ORDER

No. 13/3-2018 PGT-III (02)

Date: 14.05.2018

The following PGT English is hereby posted against the vacant post to the station mentioned against his name; on administrative ground.

| Sr. No. | Name of the Official with the subject, place of posting | Transferred to | Remarks |
|---------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | Sh. Pawan Kumar (206145), PGT English, GMSSS, Ganaur-3460 | GMSSSS, Indachhoi, Fatehabad-3408 | Against Vacancy |


DHEERA KHANDELWAL, IAS
ADDL. CHIEF SECRETARY, GOVT. OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH

Endst. No. Even

Dated: 28.05.2018

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. PA/ DSE for the information of W/ DSE.
2. PA/ JD for the information of W/ JD.
- ✓ 3. DD Technology Officer, I.T. Cell.
4. Supdt PGT-III
5. DEO Sonipat
6. DEO Fatehabad
7. Official concerned


ASSISTANT DIRECTOR (ACADEMIC)
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA



**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

PERMISSION

Order No. 04/83-2018 PGT-1 (1)

Dated Panchkula, the 28.05.2018

Sh. Raj Pal Malik, PGT Math, DIET Madina (Rohtak) is hereby granted the following Earned Leave under the Haryana CSR Rules-2016 applicable:-

| Sr. No. | Nature of Leave | From | To |
|----------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Earned Leave | 01.06.2018 | 10.07.2018 (40 days) |

Rajiv Prashad
Joint Director Admn.-II
Haryana, Panchkula

ENDST.NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, THE

29/5/2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director, SCERT, Gurugram, Haryana.
2. Principal, DIET, Madina (Rohtak) w.r.t. their No. G-1/2018/1142 dated 05.05.2018.
3. Sh. Raj Pal Malik, PGT Math, DIET Madina (Rohtak).
4. I.T. Cell.

Rajiv Prashad
Dy. Superintendent PGT-1
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

R

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
ORDER**

No. 18/1129-17 PGT-I (6)

DATED, CHANDIGARH THE 29.05.2018

In accordance with the instructions contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 31.12.2008 and letter dated 04-03-2014 and Notification No. 1/20/2016(ACP)-5 PR(FD) dated 28.10.2016, Smt. Neha Siwach, PGT English, Govt. High School, Sector-17, Panchkula is hereby granted 1st ACP, ACPL-12 w.e.f. 01.03.2017 after completion of 8 years regular satisfactory service on the post of PGT English.

**DHEERA KHANDELWAL
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT,
CHANDIGARH**

**OFFICE OF THE DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Endst. No. 18/1129-17 PGT-I (6)


Dated, Panchkula The

31/05/2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Panchkula his/her w.r.t. Memo No. E-1/2017/31079 dated 11.12.2017.
3. Principal/Headmaster, Govt. High School, Sector-17, Panchkula.
4. Treasury Officer concerned.
5. Smt. Neha Siwach, PGT English, Govt. High School, Sector-17, Panchkula.
- ✓ 6. I.T Cell (Local).

DA/As above.


**Dy. Superintendent PGT-I
For Director Secondary Education
Haryana, Panchkula** *e*

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 20/285-2017 PGT-I (1) Dated, Panchkula, the 31.05.2018

Smt. Pushpa Rani, PGT Mathematics, Govt. Sr. Sec. School, Bhatoli (Yamuna Nagar) is hereby granted child care leave **w.e.f. 05.07.2018 to 04.01.2019 (six months only)** subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.


**Rajiv Rattan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

ENDST. No. Even

DATED, PANCHKULA, THE 31-5-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Yamuna Nagar.
2. Headmaster/Principal, Govt. Sr. Sec. School, Bhatoli (Yamuna Nagar)
3. Smt. Pushpa Rani, PGT Mathematics, Govt. Sr. Sec. School, Bhatoli (Yamuna Nagar).
4. I.T Cell (Local).


**Dy. Superintendent PGT-I
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**



**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 20/176-2016 PGT-I (1) Dated, Panchkula, the 30.05.2018

Smt. Samedha, PGT Chemistry, Govt. Sr. Sec. School, Hansi (Hisar) is hereby granted child care leave **w.e.f. 17.07.2018 to 16.01.2019 (Six months only)** subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.


**Rajiv Rattan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

ENDST. No. Even

DATED, PANCHKULA, THE 31-5-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Hisar w.r.t. his letter No. E-VI/2018/1563 dated 25.05.2018.
2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Hansi (Hisar).
3. Smt. Samedha, PGT Chemistry, Govt. Sr. Sec. School, Hansi (Hisar).
4. ✓ I.T Cell (Local).


**Superintendent PGT-I
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 20/235-2018 PGT-II (5)

Dated Panchkula, the 30.05.2018

Smt. Rajni Bala, PGT Sociology, Govt. Sr. Sec. School, Goriwala, Sirsa is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **02.07.2018 to 31.08.2018 (61 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/ 2009-3FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No.11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.


**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 30-5-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Sirsa w.r.t letter No. E-I/2018/ 1113 dated 16.05.2018.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Goriwala, Sirsa.
3. Smt. Rajni Bala, PGT Sociology, Govt. Sr. Sec. School, Goriwala, Sirsa.
- ✓ 4. I.T Cell, H.Q for uploading the orders on the website.


**SUPERINTENDENT PGT-II
for DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULAOFFICE**

REGD.

From

The Director Secondary Education, Haryana,
Panchkula.

To

The District Education Officer,
Panchkula


Memo No. 14/27-2018 PGT-III (9)
Dated, Panchkula the

Sub:- Permission for going abroad – Smt. Meena Kumari, Vocational Audit & Accountancy, Govt. Girls Sr. Sec. School, Sector-15 (Panchkula).

Kindly refer to your office Memo. No. E-II-2018/018/4865 dated 04.05.2018 on the subject cited above.

The permission of the Government is hereby accorded to **Smt. Meena Kumari, Vocational Audit & Accountancy, Govt. Girls Sr. Sec. School, Sector-15 (Panchkula)** to visit **Australia** from **02.06.2018** to **16.06.2018** on the following conditions:-

1. That she will go abroad after got leave sanctioned.
2. That she will hand over the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that she will not join any Govt. or Non Govt. job in abroad.
4. That there will be no financial burden on the State exchequer.
5. That she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That she will abide by all the rules and will be faith full to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be affected in anyway due to her going to abroad.


**Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**


Endst No. Even

Dated Panchkula the

28/05/2018

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, Sector-15 (Panchkula).
2. Smt. Meena Kumari, Vocational Audit & Accountancy, Govt. Girls Sr. Sec. School, Sector-15 (Panchkula).
3. IT Cell (Local)


**Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**

REGD.

From

The Director Secondary Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

The District Education Officer,
Rohtak.


Memo No. 14/74-2018 PGT-II (5)
Dated, Panchkula the

Subject:- Permission for going abroad - Smt. Kamlesh Nara, PGT History, Govt. Sr. Sec. School, Ismaila (Rohtak).

Kindly refer to your office memo No. E-2/2018/9023-24 dated 07.05.2018 on the subject cited above.

The permission of the Government is hereby accorded to **Smt. Kamlesh Nara, PGT History, Govt. Sr. Sec. School, Ismaila (Rohtak)** to meet her relative at **USA** for the period from **30.05.2018 to 28.06.2018 (30 days)** on the following conditions:-

1. That she will go abroad after got leave sanctioned.
2. That she will hand over the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that she will not join any Govt. or Non Govt. job in abroad.
4. That there will be no financial burden on the State exchequer.
5. That she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That she will abide by all the rules and will be faith full to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be affected in anyway due to her going to abroad.



Superintendent PGT-II¹
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

Endst No. Even

Dated Panchkula the 31/5/18

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Ismaila (Rohtak).
2. Smt. Kamlesh Nara, PGT History, Govt. Sr. Sec. School, Ismaila (Rohtak).
3. I.T Cell (H.Q) for uploading the orders on the official website.


Superintendent PGT-II¹
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

REGD.

From

The Director Secondary Education, Haryana,
Panchkula.

To

The District Education Officer,
Kurukshetra.

Memo No. 14/75-2018 PGT-II (7)
Dated, Panchkula the

Sub:- Permission for going abroad - Smt. Ritu Chopra, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Yara (Kurukshetra).

Kindly refer to your office Memo. No. E-2/18/5115 dated 03.05.2018 on the subject cited above.

The permission of the Government is hereby accorded to **Smt. Ritu Chopra, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Yara (Kurukshetra)** to go abroad at **Ontario, Toronto (Canada)** for the treatment of her from **15.06.2018 to 15.09.2018** on the following conditions:-

1. That she will go abroad after got leave sanctioned.
2. That she will hand over the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that she will not join any Govt. or Non Govt. job in abroad.
4. That there will be no financial burden on the State exchequer.
5. That she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That she will abide by all the rules and will be faith full to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be affected in anyway due to her going to abroad.

SA
**Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**

Endst No. Even

Dated Panchkula the *30/05/2018*.

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Yara (Kurukshetra).
2. Smt. Ritu Chopra, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Yara (Kurukshetra).
- ✓ 3. IT Cell (Local).

30/05/2018
**Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 18/114-2018 PGT-III (9)

Dated Panchkula, the 30.05.2018

Smt. Khushbu, PGT Commerce, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School (2130), G.T. Road, Panipat is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **01.07.2018 to 26.09.2018 (88 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/ 2009-3FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No.11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.


**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 30.5.18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Panipat w.r.t letter No. E-I/2018/3355 dated 16.05.2018.
2. Principal, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School (2130), G.T. Road, Panipat.
3. Smt. Khushbu, PGT Commerce, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School (2130), G.T. Road, Panipat.
4. I.T Cell, H.Q for uploading the orders on the website.


**SUPERINTENDENT PGT-III
for DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULAOFFICE**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 18/109-2018 PGT-III (2) DATED, PANCHKULA 30.05.2018

Smt. Sona Yadav, PGT English, D.I.E.T, Gurugram is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **30.05.2018 to 30.06.2018 (32 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE

30/5/18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director, SCERT Haryana, Gurugram w.r.t. his/her memo No. A-5/2018/249-50 dated 08.05.2018.
2. Principal, D.I.E.T, Gurugram.
3. Smt. Sona Yadav, PGT English, D.I.E.T, Gurugram.
4. IT Cell for uploading the orders on website.

30/5/2018

**SUPERINTENDENT PGT-III
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 10/42-2018 PGT-III (2)

Dated, Panchkula the 23.05.2018

Permission is hereby granted to Smt. Meenakshi Chadha, PGT English, Govt. High School, Batour (Panchkula) to change the option for the medical reimbursement for the outdoor expenses of treatment of chronic disease w.e.f. 02.05.2018 in terms of Haryana Government instructions issued time to time on the following conditions:-

1. That she will not be entitled to the fixed medical allowances w.e.f. 02.05.2018. After the date of change of option the allowances, if received, will have to be deposited in Government treasury.
2. The medical certificate will be reviewed after a period of two years.
3. The reimbursement will be made only for Eighteen chronic diseases which have been declared by the Haryana Government.

**RAJIV RATTAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED PANCHKULA, THE

30/5/18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Panchkula w.r.t. his office Memo. No. A-II/17/5030 dated 10.05.2018.
2. Treasury Officer Concerned.
3. Principal/Headmaster, Govt. High School, Batour (Panchkula).
4. Smt. Meenakshi Chadha, PGT English, Govt. High School, Batour (Panchkula).
5. IT Cell (H.Q) for uploading the orders on the official website.

30/5/18
**Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 20/236-2018 PGT-II (5)

DATED, PANCHKULA 30.05.2018

Smt. Rubal Yadav, PGT History, Govt. Sr. Secondary School, Karnawas (Rewari) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **10.07.2018 to 05.10.2018 (88 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.


**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 30-5-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rewari w.r.t. his/her memo No. E-2/2018/4618/1509 dated 25.05.2018. It is requested that during the CCL of Smt. Rubal Yadav, PGT History, the teaching arrangement may be made at school level.
2. Principal, Govt. Sr. Secondary School, Karnawas (Rewari).
3. Smt. Rubal Yadav, PGT History, Govt. Sr. Secondary School, Karnawas (Rewari).
4. IT Cell for uploading the orders on website.


**SUPERINTENDENT PGT-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA,
PANCHKULA**

CORRIGENDUM

Order No. 15/13-2017 PGT-II (3)

Dated, Panchkula, the 24.04.2017

In promotion order of Smt. Sonu Yadav bearing same number and date, designation (TGT) of Smt. Sonu Yadav may be read as Mistress Science instead of Master Science and her gender may be read as Female instead of Male.

**RAJIV RATTAN
DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated Panchkula, the 30/5/18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rewari..
2. Principal, Govt. Sr. Secondary School, Mastapur (Rewari) [2584].
3. Smt. Sonu Yadav [087684], PGT Chemistry, Govt. Sr. Secondary School, Mastapur (Rewari) [2584].
4. I.T Cell (H.Q) for uploading the same on website.

Kumar 30/5/2018
**SUPERINTENDENT PGT-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ORDER

Order No. 5/34-2018 PGT-II (7)

Dated Panchkula, the 04.05.2018

Sanction is hereby accorded to Sh. Hukam Singh, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Bhainsrawali (Faridabad) now Govt. Girls Sr. Sec. School, Dayalpur (Faridabad) as per detail given below:-:-

| Sr. No. | Nature of Leave | From | To | Rules applicable of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016 |
|---------|--|------------|------------|--|
| 1. | Extra-ordinary Leave(without pay) on medical ground. | 09.07.2013 | 19.01.2014 | Rule- 40 (2)(a) |

It is also certified that the official would have continued to official as HES-II during his proceeding on leave.

**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST.NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, THE 30.5.2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Faridabad w.r.t his/her memo No. E-1/18/5835 dated 04.04.2018. The Service Book of Sh. Hukam Singh in original is also enclosed herewith.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Bhainsrawali (Faridabad).
3. Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, Dayalpur (Faridabad).
4. Sh. Hukam Singh, PGT Economics, Govt. Girls Sr. Sec. School, Dayalpur (Faridabad).
- ✓ 5. IT Cell (Local).

Sharma 30/5/2018
**Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**